अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

चतरसिंह बनाम रा०राज्य जरिए तहसीलदार मांडल

किस्म मुकदमा प्रा-पत्र धारा 136 R-T-A नं0 149 सन 2024

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3.6.24	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नॉटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 12.7.24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
12.7.24	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षी का सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुआ व तहसीलदार मांडल से मौका रिपोर्ट क्रमांक /राजस्व/2024/1389 दि० 8.7.24 से प्राप्त हुई जिसे शा० प० किया गया। वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान प्रा० पत्र मे अंकित दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहसीलदार माण्डल के द्वारा पेश की गई मौका रिपोर्ट पर अध्ययन किया। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। विवादित आराजी ग्राम भावलास पटवार हल्का भावलास तहसील मांडल मे स्थित होकर प्रार्थी छीतर पुत्र गोपी दरोगा सा-देह खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है। जिसकी ताईद संवत 2076-2079 की नकल से होती है। प्रार्थी ने अपना नाम छीतर के बजाय चतरसिंह राजस्व रिकार्ड मे अंकित करवाना चाहता है। जिसकी ताईद मे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी [illegible], जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड [illegible] की फोटो प्रति व शपथ पत्र पेश से होती है। जिसमे प्रार्थी का [illegible] चतरसिंह है, उसी अनुसार प्रार्थी राजस्व रेकार्ड	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.08.02 11:19:57 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर ...
	मे भी छीतर के बजाय चतरसिंह राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराना चाहता है। तहसीलदार माण्डल ने भी अपनी मौका रिपोर्ट मे प्रार्थी के पक्ष मे रिपोर्ट कर अनुशंसा की है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ, अत: :: आदेश :: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 R.T.A. तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम भावलास पटवार हल्का भावलास तहसील माण्डल मे स्थित खाता सं. 8 मे आराजी सं. 872 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, खाता सं 45 मे आराजी स. 1129 रकबा 0.0506 हैं० खाता स. 49 मे आराजी स. 1144, 1146 कुल किता 02 कुल रकबा 0.0379 हैं० व खाता सं. 120 मे आराजी सं. 1179 रकबा 1.4543 है० एव खाता सं. 121 मे आराजी स. 1137 रकबा 0.7582 है० व खाता सं 122 मे आराजी स. 857, 858, 859, 877, 878 879 901, 902 कुल किता 08 कुल रकबा 1.4036 है० भूमि के राजस्व रेकार्ड मे अंकित प्रार्थी का नाम छीतर के बजाय चतरसिंह राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार माण्डल उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल ... कर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.08.02 11:19:57 IST
Reason: SelfAttested